

2025/25

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

; कृष्ण कुमार बनाम गणेश

किस्म मुकदमा दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

मु० नं० 1/2/सन-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.01.2025	<p>दावा वकील वादी श्री के०के०मीना, एडवोकेट ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 88,89,188,53,251 ए आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्जे रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 03.03.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  मालाखेडा </p> <p>३३/२५</p> <p>कार्यवाही उप० / वाक्ते गौर नख्की दिनांक १.५.२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी.  मालाखेडा (अलवर) </p> <p>१/५/२५</p> <p>पत्रावली को पूरा। पीकालीन अधिकारी अथवा अन्य कार्या में कार्य है। अथवा किफि 11.5.2025 को पेश हो।</p>	
१/५/२५	<p>पत्रावली पेश हुरी भावाज खिलर जरर किन्तु वकील वादी वादी स्वैम एगित अदालत नही आपे है।</p> <p>अतः वकील वादी श्री अनु० में दावा अहम बाजरी। अहम वकील में खारिज किया जाता है पत्रावली फिल होकर नम्बर से अहम हो। अहम पूरि जमा लेख अणर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेडा (अलवर)